न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0नं0:-433/2020

गोह थाना कांड संख्या :-71/2020

17.06.2020 आवेदक अजय सिंह की ओर से ई-फायलिंग के माध्यम से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया तत्पश्चात् आवेदक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । आवेदक के विरूद्ध लगाये गये सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध धारा 279 एवं 427 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । उपरोक्त सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदक स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/आवेदक को मो0-5000x2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि वर्तमान में अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति है तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना के पत्र संख्या-25067-25103/A.D.(MISC.). IV-116(PF-C)2016 दिनांक-01.06.2020 के आलोक में आवेदक को बंधपत्र दाखिल करने से छूट प्रदान किया जाता है साथ ही साथ आवेदक को मो0-5000x2 के समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह तीन माह के अंदर या लॉकडाउन के तुरंत बाद बंधपत्र दाखिल करेगा ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।